obtain critical spares instead of limiting it to the Trading Houses of Russia.

(iv) Parallel arrangements for procuring future equipment for this project from other sources are also being made as felt necessary.

Pit head price of different grade of coal

1224. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what are the pit-head price of different grades of coal before and after the price hike @ Rs. 70/- per tonne;and

(b) what would be the total cost per tonne of coal at the receiving end ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S.B. NYAMAGOUDA) (a) Before revision of prices of coal effective from 28-12-1991 the average pithead price of coal produced by Coal India Limited was Rs. 249/- per torme and that of Singareni Collieries Company Limited was Rs. 297/- per tonne. After revision it was enchan-ced to Rs. 322/- per tonne and Rs. 388/- per tonne respectively.

(b) Coal is sold ex-pithead and the freight is to be borne by the consumer. Freight depends on the distance from the pithead and the mode of transport by which coal is transported. In addition excise duty, royalty and other taxes will add to the cost of coal at the consumer end.

कोयले के लदान में माफिया की गति-विधियां

1225. **श्रीमती कमला सिन्हा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित 24 जनवरी, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में "बालू और कोयले की ढुलाई में माफिया फिर हावी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) जी, हां । 28 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स (पटना से प्रकाशित संस्करण) में "बालू और कोयले की ढुलाई में माफिया फिर हावी" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० ने इस समाचार में प्रस्तुत की गई सामग्री को स्वीकार नहीं किया है। इस कोयला कंपनी ने सूचना दी है कि इस समय भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले और रेत के परिवहन में लगे जिला प्रशासन द्वारा 21 सहकारी समितियों को विधिवत रूप में प्रायोजित किया गया है।

जैसा कि उस समाचार में कहा गया है रेत के बारे में अतिशय रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित नहीं है।अतिशय रिपोर्टिंग को निरस्त करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों जोखिम वाले स्थानों पर तैनात हैं । इसके बाद ट्रकों की रेत के कार्य से संबंधित "मंशियों" द्वारा जांच की जाती है । अंतिम भुगतान किये जाने से पहले भूमिगत माप द्वारा रेत की मात्रा का सामंजस्य किया जाता है ।

रेत परिवहन सहकारी समितियों का पिछले तीन वर्ष का कार्यकलाप उनके लिए निर्धारित लक्ष्य का 35 से 40 प्रतिशत के मध्य रहा । सहकारी समितियों को समझौते के पैरामीटरों के अनुरूप कार्य करने की सभी सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं । सहकारी समितियों तथा निजी संविदाकारों द्वारा लाई गई रेत के माप के बारे में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है ।

स्लैबी पत्थर/पत्थर को उठाने संबंधी धारा केवल इन संविदाकारों के संबंध में शामिल की गई हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए पृथक भुगतान किया जाता है यह सहकारी समितियों, भूतपूर्व सैनिक कंपनियों और निजी संविदाकारों के मामले में समान रूप से लागू है ।

चार बंकरों का कार्य जुलाई, 90 में मध्यावधि खुले टेन्डर के जरिये मैसर्स देसराज एण्ड सन्स को दिया गया था । इस समय वह कार्य नहीं कर रहे हैं । मैसर्स शान्ति एन्टरप्राइजेज को कभी कोई कार्य प्रदान नहीं किया गया ।

दरों के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया था । 7 प्रतिशत तदर्थ भुगतान, भविष्य में समायोजित किए जाने की शर्त पर किया गया था । यह इस तथ्य को देखते हुए किया गया था कि भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में रेत के परिवहन की व्यवस्था में कमी आ गई थी और इससे, अस्वाभाविक रूप से गड्ढे बन गए थे, जिससे खानों में तैनात व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । सहकारी समितियों 7 प्रतिशत तदर्थ भुगतान की हकदार नहीं है, चूंकि उन्होंने 3 वर्षों के दौरान निविदाओं में भाग नहीं लिया था । तथापि, उन्हें बातचीत के आधार पर, उस समय चल रही उच्चतम दरें दी गई थीं ।

वर्ष 1992-93 के लिए जिला प्रशासन की विशिष्ट सिफारिशों पर 13 बंकरों के लिए 15 सहकारी समितियों को रेत परिवहन का कार्य निष्पादित किया गया था ।

Setting up of new special smokeless fuel units

1226. SHRI ASHOK NATH YERMA : Will the Minister of GOAL be pleased to refer to the reply to the UnStarred Question 2532 given in the Rajya Sabha on 16th December, 1991 and state :

(a) whether Coal India Limited proposes to encourage for setting up of special smokeless fuel units (SSF) for elimination/reduction of smoke, pollution, drudgery and hazards at places where such units have not yet been established; if so, the details thereof; and

(b) what kind of assistance the Coal India Limited will extend to the proposed units ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S.B. NYAMAGOUDA) : (a) and (b) Special Smokeless Fuel (SSF) plants need coal with caking proper ties. Hence such plants are to be encouraged subject to availability of suitable coal, estimated demand for SSF in the area and approval of rail linkage wherever necessary. Subject to satisfaction of the above conditions, it was decided to encourage two such units in each district. Coal Mine Planning and Design Institute Ltd. Ranchi (CMPDIL) provides the technical assistance for setting up such units by charging a fee.

Rationalised coal allocation Policy

1227. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of Coal be pleased to state :

(a) what are the details of the Coal allocation policy at present;

(b) whether, it is a fact that there is a move to "rationalise" the allocation of Coal to the non-core sectors by divesting the State Governments of the power to assess the Coal consumption capacity of units every year and the same on the CJ.L. and individual; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S.B. NYAMAGOUDA) (a) As per the existing policy of allocation of